कार्यालय– जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात।

पत्रांक / विज्ञप्ति / 13727-30 /2019-20 दिनांक- 18-03-2020

विज्ञप्ति

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–8 लखनऊ, दिनांक 27 फरवरी, 2020 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में शासनादेश सं0–106 / 15–8–20–3001(3) / 2019 दिनांक 27 फरवरी, 2020 में निहित व्यवस्था के अनुसार जनपद कानपुर देहात मे संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (इण्टर स्तर तक अनुदानित) व वित्तविहीन (असहायिक विद्यालय) इण्टर स्तर तक मान्यता प्राप्त इच्छुक विद्यालयो के संस्था प्रबन्धको को सूचित किया जाता है कि जो संस्था प्रबन्धक शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय मे मानकानुसार भवन, 1.25 एकड़ से अधिक भूमि, जो राजस्व अभिलेख मे सम्पूर्ण भूमि विद्यालय के नाम दर्ज हो, भूमि का कोई विवाद न हो, भूमि भार मुक्त हो, भूमि एवं भवन बिना किसी शर्त के अथवा किसी भार के शासन को हस्तान्तरित करने पर सहमत हो,साथ ही विद्यालय द्वारा कोई अनियमितता न की गयी हो, विद्यालय के विरूद्ध कोई कार्यवाही न की गयी हो और न ही प्रचलित है तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रचलित नही है एवं विद्यालय के प्रान्तीयकरण के इच्छुक है। वे संस्था प्रबन्धक उक्त विज्ञप्ति का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से समस्त संलग्नको सहित आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2020 के सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। निर्धारित तिथि / समय के पश्चात कोई भी आवेदन किसी भी दशा मे स्वीकार नही किया जायेगा। यदि कोई संस्था द्वारा शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था का अवलोकन करना चाहे तो उनकी प्रति एन0आई0सी0 की वेबसाइट– https://kanpurdehat.nic.in के साथ ही कार्यालय जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात के सूचना पट पर चस्पा है।

(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
जिला विद्यालय निरीक्षक
कानपुर देहात।

पृ0सं0 / विज्ञप्ति / 13727-30 /2019–20 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात को टीपादेश दिनांक 17.03.2020 के अनुपालन मे अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
3. जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति बहुप्रकाशित दैनिक समाचार पत्र हिन्दी "आज" मे जन सामान्य की जानकारी के लिए जनहित मे शासकीय दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
4. जनपद के इच्छुक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (इण्टर स्तर तक अनुदानित) व वित्तविहीन (असहायिक विद्यालय) इण्टर स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्धको को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर देहात।

02C